कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-बालोद, (छ.ग.)

क्रं./स्था. अवि./सीधी भर्ती/2022/3727 दिनांक 06/06/2022

विज्ञापन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नवा रायपुर के पत्र क्रं./स्था अवि.312/2021/857 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.08.2021 के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 का संशोधन नियम 11/06/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार जिला स्तरीय तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक **10.06.2022 से दिनांक 21.06.2022 तक कार्यालयीन समय 05:00 बजे तक** कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बालोद फौवारा चौक पुराना जिला अस्पताल परिसर बालोद के पते पर रजिस्टर डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

01. रिक्त पदो का विवरण निम्नानुसार है :-

रिक्त पदों का विवरण

क्रं.	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.वर्ग	पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1	*2*	*3*	*3*	*4*					*10*
1	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला"	तृतीय श्रेणी	लेबल-05 22400-71200	15	मुक्त-0 महिला-7 भू.सै.-0 दिव्यांग-0	मुक्त-0 महिला-5 भू.सै.-0 दिव्यांग-0	मुक्त-0 महिला-1 भू.सै.-0 दिव्यांग-0	मुक्त-0 महिला-2 भू.सै.-0 दिव्यांग-0	(1) उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये, (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये, (3) छ.ग. नर्सिंग कौंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन होना चाहिए।
2	ड्रेसर ग्रेड-01	तृतीय श्रेणी	लेबल-04 19500-62000	25	मुक्त -8 महिला-3 भू.सै.-1 दिव्यांग-0	मुक्त -6 महिला-2 भू.सै.-0 दिव्यांग-0	मुक्त -2 महिला-0 भू.सै.-0 दिव्यांग-0	मुक्त-3 महिला-0 भू.सै.-0 दिव्यांग-0	(1) 10+2 पद्वति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिये, (2) आर्थोपैडिक-कम ड्रेसर

									का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये, और (3) छ.ग. पैरामेडिकल कौंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिये।
3	ड्रेसर ग्रेड–02	तृतीय श्रेणी	लेबल–03 18000–56900	02	मुक्त –1 महिला–0 भू.सै.–0 दिव्यांग–0	मुक्त –1 महिला–0 भू.सै.–0 दिव्यांग–0	मुक्त –0 महिला–0 भू.सै.–0 दिव्यांग–0	मुक्त –0 महिला–0 भू.सै.–0 दिव्यांग–0	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
4	लैब असिस्टेंट	तृतीय श्रेणी	लेबल–04 19500–62000	01	मुक्त –1 महिला–0 भू.सै.–0 दिव्यांग–0	मुक्त –0 महिला–0 भू.सै.–0 दिव्यांग–0	मुक्त –0 महिला–0 भू.सै.–0 दिव्यांग–0	मुक्त –0 महिला–0 भू.सै.–0 दिव्यांग–0	10+2 पद्वति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिये।
5	डार्करूम असिस्टेंट	तृतीय श्रेणी	लेबल–04 19500–62000	01	मुक्त –1 महिला–0 भू.सै.–0 दिव्यांग–0	मुक्त –0 महिला–0 भू.सै.–0 दिव्यांग–0	मुक्त –0 महिला–0 भू.सै.–0 दिव्यांग–0	मुक्त –0 महिला–0 भू.सै.–0 दिव्यांग–0	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 पद्वति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

<u>नियम व शर्तें–</u>

2 ड्रेसर वर्ग–एक, ड्रेसर वर्ग–02 प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट) डार्करूम असिस्टेंट के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही पात्र होगें।

2.1 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक ''महिला'' के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य मूल निवासी के केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र होगें।

3. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा–** आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष (छ.ग. के स्थानीय निवासी के लिये) होनी चाहिये। आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, नियम, आदेश यथासंशोधित लागू होगें।

3.1 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट पत्र कमांक 3–2/2015/1–3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है उक्त निर्देश लागू होंगें।

3.2 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष जैसे – छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु

के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशो के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

3.3 आयु संबंधी प्रमाण हेतु हाईस्कूल (10वीं) के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.4 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

सामान्य नियम एवं शर्ते तथा आवश्यक निर्देश :–

1. छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम–2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) लागू होंगें।

2. अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

3. आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल कौंसिल/नर्सिंग कौंसिल/फार्मेसी कौंसिल में न्यूनतम अर्हता के अनुसार जीवित पंजीयन, आनलाईन आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक का होना अनिवार्य है।

4. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन (सी) 592/2012 रिट पिटीशन (सी) 593/2012 या रिट पिटीशन (सी) 594/2012 में पारित होने वाले आदेश/ निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तयों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

6. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होगें, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. आरक्षित दिव्यांग श्रेणी अंतर्गत् केवल OL (एक पैर) एवं OA (एक हाथ) दिव्यांग उम्मीदवार ही पात्र होंगे।

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों का निर्धारण जिले में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9.1 भूतपूर्व सैनिक :– थलसेना, जलसेना एवं वायुसेना के सेवानिवृत्त सैनिक

9.2 अर्द्ध सैनिक बल भूतपूर्व सैनिक अंतर्गत् पात्र नहीं होंगे।

9.3 विज्ञापित पद के कार्य की प्रकृति को देखते हुए दिव्यांग श्रेणी अंतर्गत् केवल OL (एक पैर) एवं OA (एक हाथ) दिव्यांग ही आवेदन करें।

10. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नही होगें। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानो में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

12. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 28.07.2020 के तहत "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिविक्षा पर रखा जावेगा" एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होगें।

13. 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान चयनित अभ्यार्थियों/शासकीय सेवक को वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार स्टायपेण्ड देय होगा। संशोधित छ.ग. मूलभूत नियम–22 सी (1) अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा।

14. आवेदको प्राप्त आवेदनो की स्कूटनी उपरांत मेरिट के आधार पर सूची तैयार की जावेगी, अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदक की अर्हता समाप्त कर दी जावेगी।

15. आवेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक या न्यायालयीन प्रकरण लंबित न हो, अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

16. भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र–अपात्र सूची, मेरिट सूची तथा भर्ती संबंधी अन्य समस्त जानकारियॉ जिले की वेबसाईट www.balod.gov.com एवं कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

17. उपरोक्त पदों पर केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगी।

18. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। आवेदक द्वारा विज्ञापन में चाही गई जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यान पूर्वक भरा जावे तथा चाहे गये दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न करें। **आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।**

19. अनर्हताएं :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम–6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

19.1 कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी। परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

19.2 कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं माना जायेगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये। परंतु आपवादिक मामले में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

19.3 कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नही होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे की आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नही है।

19.4 कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया जो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा। परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जायेगा।

19.5 कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

20. विज्ञापन में वांछित समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के आवेदन की तिथि को होना अनिवार्य है, उसके बाद जारी दस्तावेज/प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।

21. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

22. मेरिट में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

23. चयन प्रक्रिया/चयन हेतु मापदण्ड :–

23.1 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) एवं ड्रेसर ग्रेड–1 के सीध भर्ती पद हेतु 12 वीं कक्षा के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 40 प्रतिशत अंक प्रावधानित है।

23.2 (क)ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) पद हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 35 अंक प्रावधानित है।

(ख)ड्रेसर ग्रेड–1 पद हेतु आर्थोपैडिक–कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 35 अंक प्रावधानित है।

23.3 फार्मासिस्ट ग्रेड–2 पद हेतु फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 75 अंक प्रावधानित है।

23.4 ड्रेसर ग्रेड–02 पद हेतु 10 वीं के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 75 प्रतिशत अंक प्रावधानित है।

23.5 लैब असिस्टेंट पद हेतु 12 वीं के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 75 प्रतिशत अंक प्रावधानित है।

23.6 छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के आदेश कमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07 दिसम्बर 2021 के अनुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को आवेदित पद पर ही कार्य करने पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा। (उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।)

23.7 छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त कार्यरत संविदा/अस्थाई/जे.डी.एस./डी.एम.एफ./एन.एच.एम. अंतर्गत् प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 03 अंक अधिकतम 05 पूर्ण वर्ष हेतु 15 अंक का अनुभव अंक प्रदाय किया जावेगा, बशर्ते आवेदक जिस पद पर आवेदन किया हो, उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र हो। (उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।)

23.8 शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार किसी भी परिस्थिति में अनुभव का कुल अंक 15 अंक से अधिक नहीं होगा।

23.9 भर्ती नियम–2013 एवं संशोधित नियम–2020 में विहित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता का 75 अंक एवं अनुभव का कुल 25 अंक (15+10) कुल मिलाकर 100 अंक आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। मेरिट के आधार पर 1:10 में संवर्गवार अभ्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के निरीक्षण उपरांत पात्र–अपात्र सूची जारी की जावेगी एवं दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत मेरिट के आधार पर चयन सह प्रतीक्षा सूची जारी की जोवगी। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को संवर्गवार आरक्षण अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

23.10 अभ्यार्थी के दस्तावेज/प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

23.11 उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए वैद्य रहेगी।

24. **निर्वचन :–** इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार विभागीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभागीय चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बालोद (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला बालोद छ.ग.

पासपोर्ट साईज का फोटो स्व–प्रमाणित

आवेदित पद का नाम :– ....

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी कैपिटल लेटर में) :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. लिंग (महिला/पुरूष) :– ....
4. जन्मतिथि (अंकों में) :– ....
   (शब्दों में) :– ....
5. दिनांक 01/01/2022 को आयु :– ....वर्ष .... माह........................ दिन.
6. वर्तमान पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :– ....
   :– ....
   :–मोबाईल नं. ....पिनकोड ....
7. स्थायी पता :– ....
   :– ....
8. रोजगार कार्यालय नाम एवं पंजीयन क्र./दिनांक :– ....
9. कौसिल पंजीयन कार्यालय का नाम :– ....
   पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :– ....
10. जाति–अना./अ.जा./अ.ज.जा/अपिव :– ....
11. क्या शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है? हां/नही :– ....
    (अ) कार्यरत् है तो पदस्थ संस्था एवं पद का नाम का उल्लेख करे :– ....
    (कार्यरत् होने पर नियोक्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. शैक्षणिक योग्यता :–

क्रं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

13. कार्यनुभव (यदि हो तो उल्लेख करें) :–
    (कार्यनुभव संबंधी जानकारी देने पर संबंधित पद का नियुक्ति आदेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्रं.	कार्यालय का नाम	पदनाम	कब से	कब तक	कुल कार्यावधि	रिमार्क

14. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :– ....
    (विकलांगता संबंधी मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
15. क्या आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं ? हां/नहीं :– ....
16. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं :– ....
17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. .... 2. .... 3. ....
4. .... 5. .... 6. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :–........................

पता :– ....

<u>**घोषणा पत्र**</u>

मैं .... घोषणा करता/करती हूँ कि, इस आवेदन में दिए गये सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है। आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई जानकारी या सूचना गलत, असत्य, अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वयं उत्तदायी रहूंगा/रहूंगी। इस आधार पर मुझे बिना नोटिस दिये मेरी उम्मीदवारी/सेवायें समाप्त की जा सकती है।

स्थान ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :–...

पता :– ....